Seventeenth Loksabha

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर 2 से 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री मनसुख मांडविया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4346/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 3) के दिनांक 5 अप्रैल, 2021 के शुद्धिपत्र, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4347/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, डॉ. संजीव कुमार बालियान **जी की ओर से**, **मैं** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4348/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.1050, जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उन अधिकारों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके ओसीआई कार्ड धारक हकदार हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4349/17/21]

(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

)एक(सा.का.नि. 452 (अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 621 (अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

)दो(सा.का.नि. 453 (अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620 (अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

)तीन(सा.का.नि. 454 (अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं.

सा.का.नि. 621 (अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है ।

[Placed in Library, See No. LT 4350/17/21]

(3) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

)एक(का.आ. 928 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित अगरतला भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के लिए 02.03.2020 से "सिविल प्राधिकारी " के रूप में नियुक्त किया गया है ।

)दो(का.आ. 930 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित गोजाडंगा भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के लिए 02.03.2020 से "सिविल प्राधिकारी " के रूप में नियुक्त किया गया है ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1950 के नियम 3 के उप-नियम (ख) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

)एक(का.आ. 927 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले की अगरतला भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/

भारत से निकास के लिए प्राधिकृत भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के रूप में अभिहित किया गया है ।

)दो(का.आ. 929 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित गोजाडंगा भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए प्राधिकृत भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के रूप में अभिहित किया गया है ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4351/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री कैलाश चौधरी जी की ओर से, **मैं** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4352/17/21]

(2) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा**की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4353/17/21]

(3) इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा***की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4354/17/21]